

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मन्त्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 2016

क्रमांक 110-22/14/18-2: भारत सरकार द्वारा लागू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1 राज्य के सात शहरी (भोपाल, इंदौर, खालिदा, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रतना) के लिये स्पेशल परपरा डहीकाल (एसपीवी) के गठन एवं भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित करर आपन (Memorandum of Agreement-MOA) तथा योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जावे।
- 2 भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित एसपीवी की प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचना का गठन किया जावे (संलग्न परिशिष्ट-अ)।
- 3 स्मार्ट सिटी योजना का संचालन मध्यप्रदेश अबन डवलपमेंट कंपनी (MPUDCL) के माध्यम से किया जावे।
- 4 स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय अपने अधिकार और दायित्व एसपीवी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
- 5 जिन प्रकारों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो उन्हें स्मार्ट सिटीज के लिये राज्य स्तरीय उच्चाधिकार आपन संचालन समिति (एसपीएससी) को अधिकृत करना तथा एसपीएससी द्वारा आवश्यकता अनुसार एसपीवी को प्रत्यायोजित किया जावे।
- 6 पर्याप्त राजस्व प्रवाह की व्यवस्था के लिये एसपीवी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वयं सक्षम होगी।
- 7 एसपीवी की परामर्शी समिति के अध्यक्ष के पद पर संबंधित नगरीय निकाय के मन्त्रीय महापौर को मनोनीत किया जावे।
- 8 प्रति शहर की एसपीवी के लिये न्यूनतम पूंजी आकार सुनिश्चित करने हेतु वर्षवार बजट प्रावधान निम्नानुसार होगा:-

वर्ष	केन्द्र सरकार का योगदान	राज्य सरकार का योगदान	कुल प्रावधान
2015-16	196 करोड	200 करोड	396 करोड
2016-17	98 करोड	100 करोड	198 करोड
2017-18	98 करोड	100 करोड	198 करोड
2018-19	98 करोड	100 करोड	198 करोड
योग	490 करोड	500 करोड	990 करोड

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के तीन शहर भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर का शयत स्मार्ट सिटी हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में तीन शहरी के लिए

10/3/16

कुल राशि रु. 1188 करोड़ (रु. 396 करोड़ प्रति शहर के मान से) अग्रिम राशि रु. 06 करोड़ (रु. 2 करोड़ प्रति शहर के मान से) घटा कर कुल राशि रु. 1182 करोड़ का प्रावधान तीन शहरों के लिये किया जावे तथा आगामी वर्षों में प्रति शहर के मान से राशि रु. 198 करोड़ का प्रावधान किया जावे। प्रदेश में अन्य चार शहरों (ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना) का भी चयन समाने ढरंग में हो जाने के उपरान्त उपरोक्तानुसार चारों शहरों के लिये उक्त प्रावधान प्रतिवर्ष बजट अनुमानों में किया जावे।

- 9 योजना लागत को पूर्ण करने के लिये एस्प्रीवी को अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निकायों को आवश्यकता होने पर शासकीय प्रतिभूति दी जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमप्रकाश श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

पृष्ठां.क्र.एफ-¹⁸⁻²² 72016/18-2

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन सचालय, भोपाल
- 2 प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सचालय, भोपाल
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विद्युत विभाग/राज्य विभाग मंत्रालय, भोपाल
- 4 संभाग आयुक्त, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा
- 5 कलेक्टर, जिला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना
- 6 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, भोपाल
- 7 आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल म.प्र.
- 8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर
- 9 आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना


(अमप्रकाश श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

एसपीवी की संरचना



नोट-एसपीवी के पदों की पूर्ति आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मह. स्टाफ मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटी के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में होगी।